संख्या-1/2017/962/एक-4-2017-111बी-/2012

प्रेषक,

राजीव कुमार,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश।
4- पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
5- समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
6- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग- 4 लखनऊः दिनांकः 21 जुलाई 2017

विषय : 'सम्पूर्ण समाधान दिवस' के माध्यम से जन समस्याओं के निराकरण हेतु दिशा-निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक राजस्व अनुभाग-4 के शासनादेश सं0-609/1-4-12-111 बी-4/2012, दिनांक 16.05.2012, संख्या-1151/1-4-12-88 बी-4/2003, दिनांक 13.09.2012 संख्या-1678/1-4-12-111बी-4/2012, दिनांक 31.10.2012, संख्या- 1938/1-4-12-338बी-4/2012, दिनांक 04.12.2012 एवं संख्या-01/2016/82/एक-4-2016-111बी-4/ 2012, दिनांक 19.01.2016 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश के अनुक्रम में प्रत्येक माह के प्रथम एवं तीसरे मंगलवार को तहसील दिवस आयोजित किया जा रहा है। मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के परिपत्र संख्या-335/पी0एस0एम0/2017, दिनांक 02.05.2017 द्वारा तहसील दिवस का नाम परिवर्तित कर 'तहसील समाधान दिवस' किया गया है। उक्त शासनादेश द्वारा 'तहसील समाधान दिवस' के सम्बन्ध में कतिपय अन्य दिशा निर्देश भी जारी किये गये हैं। तहसील समाधान दिवस को तत्काल प्रभाव से समाप्त करते हुए 'तहसील समाधान दिवस' के स्थान पर 'सम्पूर्ण समाधान दिवस' किया जाता है।

2- उक्त से सम्बन्धित जन समस्याओं के समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण एवं प्रभावी निस्तारण न हो पाने के कारण तहसील दिवस के सम्बन्ध में निर्गत समस्त शासनादेशों को अवक्रमित करते हुए 'सम्पूर्ण समाधान दिवस' के आयोजन के सम्बन्ध में निम्नवत दिशा-निर्देश जारी किये जाते हैः-

2.1 'सम्पूर्ण समाधान दिवस' के उद्देश्य

(1) 'सम्पूर्ण समाधान दिवस' पर आने वाले आवेदनों का प्रभावी, गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध, निस्तारण व शिकायतों का प्रभावी अनुश्रवण।

(2) जन सामान्य को विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत मिलने वाली सुविधाओं को सुगमता से उपलब्ध कराया जाना।

(3) सामान्य जन को शासकीय सुविधाओं की डिलवरी विभिन्न कार्यालयों के स्थान पर यथा-सम्भव एक ही स्थान पर सुगमता से उपलब्ध कराया जाना।

(4) जन सामान्य एवं अधिकारियों के मध्य सीधा संवाद स्थापित करना।

(5) सामान्य जन द्वारा सुविधाओं की प्राप्ति के लिए किये जा रहे अनावश्यक परिवहन व्यय एवं समय के अपव्यय को समाप्त करना।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2.2 'सम्पूर्ण समाधान दिवस' के आयोजन की व्यवस्था

(1) 'सम्पूर्ण समाधान दिवस' का आयोजन माह के प्रथम तथा तृतीय मंगलवार को जिले की हर तहसील में प्रातः 10.00 बजे से 2.00 बजे तक किया जायेगा। यदि निर्धारित दिवस पर अवकाश हो तो यह आयोजन अगले कार्य दिवस में किया जाएगा।

(2) जिलाधिकारी द्वारा क्रमानुसार प्रत्येक तहसील में आयोजित 'सम्पूर्ण समाधान दिवस' की अध्यक्षता की जाएगी, जिसमें जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अथवा पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रतिभाग किया जाएगा। उक्त के अतिरिक्त अन्य तहसीलों में जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित रोस्टर के अनुसार मुख्य विकास अधिकारी अथवा जिलाधिकारी द्वारा नामित किसी अपर जिलाधिकारी द्वारा 'सम्पूर्ण समाधान दिवस' की अध्यक्षता की जायेगी, जिसमें अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण/नगर) द्वारा प्रतिभाग किया जाएगा। शेष तहसीलों में सम्बन्धित उप जिलाधिकारी द्वारा 'सम्पूर्ण समाधान दिवस' की अध्यक्षता की जाएगी, जिसमें सम्बन्धित पुलिस क्षेत्राधिकारी द्वारा प्रतिभाग किया जाएगा।

(3) 'सम्पूर्ण समाधान दिवस' में भाग लेने वाले मा0 सासंदगण व मा0 विधायकगण को सम्मानपूर्वक बैठने हेतु एक प्रमुख स्थान (Head Table) की व्यवस्था की जायेगी।

(4) 'सम्पूर्ण समाधान दिवस' के आयोजन की अध्यक्षता करने वाले अधिकारियों का रोस्टर जिलाधिकारी द्वारा माह प्रारम्भ होने से पूर्व ही प्रसारित कर दिया जाएगा।

(5) कम्प्यूटरीकरण में व्यय होने वाली धनराशि की व्यवस्था परिषदादेश संख्या-1106/ एक-18-2009/क-सेल/10/2004 टी0सी0 दिनांक 04.08.2009 द्वारा की गयी थी। उक्त व्यवस्था प्रार्थना-पत्रों के कम्प्यूटरीकरण हेतु यथावत प्रभावी रहेगी।

(6) आयोजन स्तर के मुख्य द्वार पर 'सम्पूर्ण समाधान दिवस' का बैनर लगाया जाएगा एवं जन सामान्य को उपलब्ध करायी जा रही सुविधाओं के बारे में प्रेस व अन्य माध्यमों से जन सामान्य को अवगत भी कराया जाएगा।

(7) मण्डलायुक्त द्वारा प्रत्येक 'सम्पूर्ण समाधान दिवस' की तिथि पर अपने मण्डल की किसी एक तहसील का आकस्मिक निरीक्षण किया जाएगा। मण्डलायुक्त 'सम्पूर्ण समाधान दिवसों' पर क्रम से अलग-अलग तहसीलों में जाएंगे। इसी प्रकार संयुक्त विकास आयुक्त तथा अपर आयुक्त द्वारा भी मण्डलायुक्त के निर्देशानुसार 'सम्पूर्ण समाधान दिवसों' का निरीक्षण किया जाएगा।

2.3 'सम्पूर्ण समाधान दिवस' में प्रतिभाग करने वाले अधिकारी का विवरण

(1) जिलाधिकारी की अध्यक्षता में होने वाले 'सम्पूर्ण समाधान दिवस' में प्रतिभाग करने वाले अधिकारियों का विवरण संलग्न अनुसूची-1 में दिया गया है।

(2) मुख्य विकास अधिकारी अथवा अपर जिलाधिकारी व उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में होने वाले 'सम्पूर्ण समाधान दिवस' में प्रतिभाग करने वाले अधिकारियों का विवरण संलग्न अनुसूची-2 में दिया गया है।

2.4 'सम्पूर्ण समाधान दिवस' में प्राप्त आवेदनों की प्राप्ति, पंजिकाओं के प्रारूप एवं पंजीकरण

(1) 'सम्पूर्ण समाधान दिवस' में आवेदको द्वारा जो प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किये जाएंगे, उनमें आवेदक का अथवा उसके किसी परिचित का मोबाइल नम्बर यथासम्भव दर्ज किया जायेगा।

(2) आवेदन पत्र सर्वप्रथम पंजीकरण रजिस्टर व कम्प्यूटर में कम्प्यूटराईजेशन हेतु निर्धारित 14 अंकों के क्रमांक में दर्ज कर उनकी प्राप्ति की रसीद आवेदक को उपलब्ध करायी जायेगी। आवेदन कोड का प्रथम अंक 3 होगा, द्वितीय एवं तृतीय अंक 0 होगा, चतुर्थ, पंचम एवं षष्टम अंक शिकायत के क्षेत्र का तहसील कोड (जनगणना कोड) होगा, सातवा एवं आठवां वर्ष का कोड (2017 के लिये 17) होगा एवं अंतिम 6 अंक 000001 से प्रारम्भ होकर जनवरी से दिसम्बर तक चलेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(3) 'सम्पूर्ण समाधान दिवस' में प्राप्त आवेदन पत्रों की प्राप्ति रसीद का प्रारूप अनुसूची-3, आवेदन पत्रों के पंजीकरण के रजिस्टर का प्रारूप अनुसूची-4 में दिया गया है। जिलाधिकारी के कार्यालय में प्राप्त समयबद्ध आवेदन-पत्रों के अनुश्रवण हेतु पृथक रजिस्टर रखा जाएगा जिसका प्रारूप अनुसूची-5 में दिया गया है।

(4) प्रार्थना-पत्र दर्ज होने के पश्चात अध्यक्ष के समक्ष आवेदनकर्ता द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। अध्यक्ष आवेदनकर्ता की सुनवाई कर उसके निस्तारण का यथासम्भव प्रयास करेगा एवं तुरन्त निस्तारण किये जा सकने की स्थिति में सम्बन्धित विभाग के अधिकारी को निर्देशित करेगा।

(5) निर्देशोपरान्त प्रार्थना-पत्र पंजीकरण कर उस प्रार्थना पत्र की स्कैन एवं फोटोकापी करा कर सम्बन्धित विभाग के अधिकारी से प्राप्ति का हस्ताक्षर रजिस्टर पर लेकर प्रार्थना-पत्र सम्बन्धित अधिकारी को उपलब्ध करा दिया जायेगा।

(6) यह समस्त अधिकारियों की जिम्मेदारी होगी कि वह अपने से सम्बन्धित प्रार्थना-पत्रों को उसी दिन प्राप्त करने के बाद ही तहसील कार्यालय छोड़े।

(7) आवेदनों की प्राप्ति की पूरी व्यवस्था सम्बन्धित तहसीलदार की देख रेख में की जाएगी। 'सम्पूर्ण समाधान दिवस' आयोजन के बाद उसी दिन सभी प्रार्थना-पत्रों का कम्प्यूटर पर अंकन कराना भी तहसीलदार व उप जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित कराया जाएगा। प्रार्थना-पत्र का कम्प्यूटरीकरण (स्कैनिंग, अपलोडिंग एवं विवरण फीडिंग) समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली (आई0जी0आर0एस0/I.G.R.S) (jansunwai.up.nic.in) से सम्बन्धित 'सम्पूर्ण समाधान दिवस' के पोर्टल पर किया जाएगा। शिकायती प्रार्थना पत्र पर अपेक्षित निस्तारण कार्यवाही व प्रगति की स्थिति भी सम्बन्धित अधिकारी द्वारा आई0जी0आर0एस0 पोर्टल पर समय-समय पर अपलोड की जायेगी।

2.5 'सम्पूर्ण समाधान दिवस' में प्राप्त आवेदनों का निस्तारण एवं अनुश्रवण

(1)- 'सम्पूर्ण समाधान दिवस' में प्राप्त शिकायतो के अवलोकन से यह पाया गया कि 'सम्पूर्ण समाधान दिवस' में मुख्य रूप से राजस्व विभाग, गृह विभाग, सामाजिक न्याय, विकास एवं अन्य विभागों से सम्बन्धित निम्न प्रकार की शिकायतें प्राप्त होती हैं-

श्रेणी-(क) राजस्व विभाग से सम्बन्धित

(एक) निजी भूमियों के सीमांकन/पैमाईश।

(दो) निजी भूमियों का अविवादित नामांतरण (प0क0-1 एवं प0क0-11)।

(तीन) खतौनी में नाम व अन्य अशुद्धियों का शोधन।

(चार) फर्जी बैनामे के आधार पर नामांतरण/कब्जा।

(पॉच) अन्य शिकायतें।

श्रेणी-(ख) राजस्व एवं गृह विभाग से सम्बन्धित

(एक) राजकीय एवं सार्वजनिक उपयोग की भूमियों यथा-चकरोड, रास्ता, तालाब, खलिहान, नाली, चारागाह आदि पर अतिक्रमण एवं अवैध कब्जे।

(दो) निजी भूमियों पर अन्य भूमिधरों/सहखातेदार द्वारा अवैध कब्जा।

(तीन) पट्टे की भूमियों पर कब्जा।

(चार) भूमि विवादों में पुलिस प्रशासन द्वारा पक्षपात किया जाना।

(पॉच) आवादी भूमि में पानी का निकास व आवागमन अवरूद्ध करना।

(छः) अन्य शिकायतें।

श्रेणी-(ग) गृह विभाग से सम्बन्धित

(एक) मारपीट, गुमशुदगी, चोरी आदि जैसे छोटे अपराधों में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज न करना।

(दो) अन्य शिकायतें।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

<u>श्रेणी-(घ) सामाजिक न्याय, विकास एवं अन्य विभाग से सम्बन्धित</u>

(एक) विभिन्न प्रकार की पेंशन की माँग/स्वीकृति/भुगतान।

(दो) राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना की स्वीकृति व संचालन में अनियमितता।

(तीन) आवासीय योजनाओं का लाभ।

(चार) राशनकार्ड बनाने की माँग एवं राशन वितरण में अनियमितता।

(पाँच) हैण्डपम्प लगाने की माँग।

(छः) खड़ण्जा व नाली निर्माण की माँग।

(सात) विद्युत बिल में गड़बड़ी, विद्युत संयोजन, विद्युत विच्छेदन एवं ट्रांसफार्मर बदलना।

(आठ) नहर के कटान व राजकीय ट्यूबवेल की मरम्मत।

(नौ) निजी वृक्षों के पातन की अनुमति।

(दस) राजकीय चिकित्सालयों में समुचित उपचार व लाभार्थी योजनाओं का लाभ न मिलना।

(ग्यारह) अन्य शिकायतें।

(2) ऊपर उप प्रस्तर-1 में उल्लिखित श्रेणी (क) की समस्याओं को तहसीलदार अथवा नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक एवं संबंधित लेखपाल की टीम बनाकर मौके पर भेजकर निस्तारण कराया जाएगा। श्रेणी (ख) की समस्याओं का तहसीलदार अथवा नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक एवं संबंधित थाने के हेड कांस्टेबल की टीम बनाकर मौके पर भेजकर निस्तारण कराया जाएगा। श्रेणी (ग) की समस्याओं को निस्तारण हेतु प्रकरण सम्बन्धित पुलिस उपाधीक्षक को सन्दर्भित कर दिया जाएगा। श्रेणी (घ) की समस्याओं को खण्ड विकास अधिकारी व सम्बन्धित विभाग के अधिकारियों द्वारा स्वयं अथवा यथावश्यक टीम बनाकर मौके पर भेजकर निस्तारण कराया जाएगा।

गम्भीर एवं अतिसंवेदनशील मामलों का निस्तारण सम्बन्धित उप जिलाधिकारी अथवा तहसीलदार द्वारा स्वयं यथावश्यक ट्रैक्टर व जे0सी0वी0 मशीन का उपयोग कर किया जाएगा और इन उपकरणों एवं मशीनों के उपयोग पर होने वाला व्यय सुसंगत नियमों के अन्तर्गत अतिक्रमणकर्ता अथवा अवैध कब्जेदार से वसूला जाएगा। उपरोक्त सभी श्रेणियों के प्रकरणों का यथा सम्भव उसी दिन मौके पर टीम भेजकर निस्तारित करनें का प्रयास किया जाएगा।

(3) 'सम्पूर्ण समाधान दिवस' में प्राप्त शिकायतों की गहन समीक्षा कर कम से कम 06 टीमें गठित की जाएं एवं महत्वपूर्ण तथा संवेदनशील कम से कम 06 शिकायतों को चिन्हित कर उनके निस्तारण हेतु उन्हें मौके पर भेजकर उसी दिन निस्तारण कराना सुनिश्चित किया जाए। जिन ग्रामों की सबसे ज्यादा शिकायतें लम्बित है या 'सम्पूर्ण समाधान दिवस' के दिन जिस ग्राम की सबसे ज्यादा शिकायतें प्राप्त हों वहाँ टीम जरूर भेजी जाए तथा प्रभावी निस्तारण किया जाए एवं लापरवाह अधिकारियों एवं कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाए।

(4) 'सम्पूर्ण समाधान दिवस' के एक दिन पूर्व मण्डलायुक्त अथवा जिलाधिकारी, पुलिस उप महानिरीक्षक अथवा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, उप जिलाधिकारी और पुलिस उपाधीक्षक व अन्य अधिकारीगण द्वारा आई0जी0आर0एस0 पोर्टल पर निस्तारित प्रार्थना-पत्रों का गम्भीरतापूर्वक अध्ययन कर उनके निस्तारण की गुणवत्ता का परीक्षण किया जाए तथा जिन प्रकरणों में निस्तारण संतोषजनक नहीं है, उन प्रकरणों पर पुनः विचार हेतु तहसील को वापस कर दिया जाए तथा उन प्रकरणों के निस्तारण से सम्बन्धित अधिकारियों से 'सम्पूर्ण समाधान दिवस' के दिन पूछताछ की जाए और उन्हें समुचित निर्देश निर्गत किये जाएं एवं सम्बन्धित अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित की जाए। आई0जी0आर0एस0 पोर्टल पर भी तदनुसार कार्यवाही अंकित की जाए।

(5) 'सम्पूर्ण समाधान दिवस' में जिलाधिकारी से प्राप्त होने वाली जनपद स्तरीय शिकायतों के निस्तारण का प्रभावी अनुश्रवण करने की व्यवस्था भी की जाए। जनपद मुख्यालय स्तर पर जिन शिकायतों के निस्तारण हेतु समय-सीमा निर्धारित की जाती है, उसके निस्तारण के सम्बन्ध में 'सम्पूर्ण समाधान दिवस' में भी अनुश्रवण

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

किया जाए। सम्बन्धित आवेदक को यह अवगत कराया जाए कि निर्धारित समय में समस्या का समाधान न होने की दशा में वह अगले 'सम्पूर्ण समाधान दिवस' में उपस्थित हो सकता है। जनपद स्तर पर समयबद्ध शिकायतों के निस्तारण का विवरण सम्बन्धित उप जिलाधिकारी को उपलब्ध कराया जाए, जिनके द्वारा इनको सूचीबद्ध करके सुनिश्चित किया जाए कि सम्बन्धित 'सम्पूर्ण समाधान दिवस' पर उनके निस्तारण का अनुश्रवण किया जाए। सम्बन्धित आवेदक की इन शिकायतों के निस्तारण का प्रकरण पुनः तहसील दिवस में आने पर 'सम्पूर्ण समाधान दिवस' की अध्यक्षता कर रहे अधिकारी का दायित्व होगा कि वह शीर्षतम् प्राथमिकता पर इन शिकायतों का निस्तारण हो एवं समयबद्ध निस्तारण न करने हेतु जिम्मेदार अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाए। जिलाधिकारी स्तर से तहसील में प्राप्त शिकायतों की पंजिका का प्रारूप अनुसूची-5 में दिया गया है।

(6) 'सम्पूर्ण समाधान दिवस' के आरम्भ में पूर्व 'सम्पूर्ण समाधान दिवस' के निस्तारित प्रकरणों की निस्तारण आख्या व लम्बित रहने के कारणों की समीक्षा अवश्य की जाए और सम्बन्धित अधिकारियों को समुचित निर्देश दिये जाएं। ऐसे अधिकारियों को सचेत एवं दण्डित करने की कार्यवाही भी प्रारम्भ की जाएगी जो जन समस्याओं के निस्तारण में पर्याप्त रूचि नहीं लेते हैं। ऐसी शिकायतें जो मॉग से सम्बन्धित हैं, उनको लेकर विभागों द्वारा यथा सम्भव निस्तारण का प्रयास किया जाएगा। यदि निस्तारण में किसी कारणवश विलम्ब सम्भावित है तो उसकी आख्या दी जाएगी और यदि निस्तारण सम्भव न हो या प्रकरण में उच्च स्तरीय निर्णय लिया जाना अपेक्षित हो तो स्पष्ट कारणों सहित उसकी आख्या भी प्रस्तुत की जाएगी।

(7) 'सम्पूर्ण समाधान दिवस' में प्राप्त ऐसे प्रकरण जिनमें यह आख्या प्राप्त हुई है कि इन प्रकरणों के निस्तारण हेतु पुलिस सहायता की आवश्यकता है, ऐसे प्रकरणों को आगामी थाना समाधान दिवस हेतु अग्रसारित कर दिया जाए तथा पोर्टल पर तदनुसार विवरण अंकित किया जाए। ऐसे प्रार्थना-पत्रों के निस्तारण में सम्बन्धित विभाग के साथ-साथ सम्बन्धित थानों का भी उत्तरदायित्व होगा।

(8) सभी विभागीय अधिकारियों द्वारा आवेदनों का निस्तारण एक सप्ताह में करके उसे जिलाधिकारी अथवा उप जिलाधिकारी के समक्ष अनुश्रवण हेतु प्रस्तुत किया जाएगा। यदि कोई प्रार्थना-पत्र जटिल समस्या के कारण सात दिन में निस्तारित न होने वाले हो तो उसे 15 दिन में अवश्य ही निस्तारित कर दिया जाएगा। प्राप्त आख्या की संक्षिप्त टिप्पणी का अंकन रजिस्टर व कम्प्यूटर पर किया जाएगा।

(9) जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, अपर जिलाधिकारी एवं उप जिलाधिकारी का ध्यान शिकायतों के गुणवत्तापरक निस्तारण पर केन्द्रित होना चाहिए। उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि वे 'सम्पूर्ण समाधान दिवस' के रजिस्टर का अवलोकन करते हुए पूर्व सम्पूर्ण समाधान दिवसों की शिकायतों के निस्तारण की गुणवत्ता का मूल्यांकन करेंगे तथा स्वयं एवं अन्य अधिकारियों को इस कार्य में लगाकर शिकायतकर्ताओं से दूरभाष पर सम्पर्क करके अथवा स्थलीय जाँच द्वारा यह सत्यापन भी करेंगे कि शिकायत का वास्तविक समाधान हुआ है या नहीं? जिन शिकायतों का सत्यापन फोन द्वारा अथवा मौके पर किया जाता है, उसका उल्लेख 'सम्पूर्ण समाधान दिवस' के रजिस्टर में भी किया जएगा।

(10) जनता द्वारा प्रस्तुत की गयी समस्याओं का निस्तारण यथा सम्भव उसी दिन कराया जाएगा तथा ऐसे प्रकरण जिनमें राजस्व एवं गृह विभाग की थानेवार टीम बनाकर निस्तारण कराया जाना आवश्यक हो, उनमें टीम निर्धारण कर टीम को सम्बन्धित थाने से 'सम्पूर्ण समाधान दिवस' की अध्यक्षता कर रहे अधिकारी द्वारा नियत समय सीमा में निस्तारण हेतु भेजा जाएगा। सार्वजनिक एवं लोक महत्व की शिकायतों के निस्तारण को प्राथमिकता दी जाये।

(11) शिकायतों के निस्तारण में यह विशेष ध्यान दिया जाए कि शिकायतकर्ता की समस्याओं का वास्तविक रूप से समाधान किया गया है। औपचारिक रूप से प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन होने का उल्लेख कर समस्या --

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

का निस्तारण नहीं किया जाना चाहिए। कब्जे के सम्बन्ध में विवादित प्रकरणों में थोड़ा प्रयास करने से समस्या का हल हो सकता है। यदि किसी आवेदन की निस्तारण आख्या में जॉच अधिकारी द्वारा लिखा जाता है कि दोनों पक्षों में सुलह हो गयी है तो सुलह के प्रमाण-स्वरूप दोनों पक्षों के हस्ताक्षरयुक्त सुलहनामा जॉच आख्या के साथ संलग्न किया जाए।

(12) यदि शिकायतकर्ता का समाधान हो गया है तो शिकायतकर्ता को निस्तारण आख्या दिखाकर आख्या पर उसके सन्तुष्टि स्वरूप हस्ताक्षर कराये जायें। यदि शिकायत निराधार पायी जाती है अथवा न्यायालय में वाद दर्ज होने के कारण समाधान सम्भव नहीं है तो शिकायतकर्ता को लिखित रूप में अवगत कराया जायेगा।

(13) यदि किसी आवेदनकर्ता द्वारा कोई ऐसा आवेदन दिया जाता है जो उसके द्वारा पूर्व में भी उसी समस्या के निराकरण हेतु दिया गया है, तो ऐसी स्थिति में शिकायतकर्ता द्वारा पूर्व में दिये गये आवेदनों के सन्दर्भ एवं क्रमांक भी नवीन आवेदन पत्र पर अंकित कराये जायं। दोबारा प्रस्तुत आवेदन-पत्रों पर जिलाधिकारी एवं उप जिलाधिकारी विशेष ध्यान देंगे एवं इसे अत्यन्त गम्भीरता से लिया जाय तथा जानबूझकर समुचित कार्यवाही न करने हेतु दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(14) सम्पूर्ण समाधान दिवसों का राजस्व परिषद एवं शासन के अधिकारियों द्वारा समय-समय पर औचक निरीक्षण किया जायेगा और निरीक्षण आख्या उच्चाधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी जो निरीक्षण आख्या का अध्ययन कर समुचित निर्देश जारी करेंगे। निरीक्षण हेतु चेक लिस्ट अनुसूची-6 में दी गयी है।

3- 'सम्पूर्ण समाधान दिवस' में प्राप्त अधिकांश शिकायतें राजस्व विभाग से सम्बन्धित होती हैं, जिनका निस्तारण राजस्व संहिता, 2006 की सुसंगत धाराओं और मुख्यरूप से धारा 24 से 26 एवं राजस्व संहिता नियमावाली, 2016 व भूमि सम्बन्धी अन्य कानूनों का प्रभावी रूप से उपयोग कर शिकायतों का निस्तारण तदनुसार किया जाए। इस सम्बन्ध में विस्तृत दिशा-निर्देश राजस्व परिषद द्वारा पृथक से जारी किये जाएंगे।

4- एण्टी भू-माफिया टास्क फोर्स के सम्बन्ध में राजस्व अनुभाग-2 द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-402/1-2-2017-1(सामान्य)/2017, दिनांक 01.05.2017 द्वारा जिलास्तरीय टास्क फोर्स जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एवं तहसील स्तरीय टास्क फोर्स उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित है। तहसील से सम्बन्धित एण्टी भू-माफिया टास्क फोर्स हेतु चिन्हित सरकारी विभागों, अर्द्धसरकारी संस्थाओं एवं ग्राम पंचायतों की भूमि व सम्पत्तियों पर भू-माफिया अथवा अन्य अतिक्रमणकर्ताओं द्वारा किये गये अवैध कब्जों को मुक्त करने की कार्यवाही का अनुश्रवण भी 'सम्पूर्ण समाधान दिवस' में किया जाएगा एवं तहसील स्तरीय रणनीति निर्धारित की जाएगी। निजी भूमि व सम्पत्तियों के विवादों के सम्बन्ध में सक्षम न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों का नियमानुसार अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

5- यदि 'सम्पूर्ण समाधान दिवस' में संबंधित अधिकारी उपस्थित नहीं होते हैं और 'सम्पूर्ण समाधान दिवस' में प्राप्त होने वाली शिकायतों का निर्धारित समयावधि में गुणवत्तापरक निस्तारण होना नहीं पाया जाता है तो इसके लिये संबंधित विभाग के संबंधित अधिकारियों के साथ-साथ उपजिलाधिकारी एवं जिलाधिकारी उत्तरदायी होंगे।

6- 'सम्पूर्ण समाधान दिवस' में प्रथम बार अनुपस्थित रहने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों को चेतावनी और द्वितीय बार अनुपस्थित रहने वो अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रतिकूल प्रविष्टि तथा तृतीय बार अनुपस्थित रहने पर अनुशासनिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाय। जिन अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरूद्ध मण्डल अथवा जनपद स्तर से कार्यवाही हो सकती है उनके विरूद्ध कार्यवाही मण्डलायुक्त अथवा जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित की जायेगी और जिन अधिकारियों के विरूद्ध शासन स्तर से कार्यवाही अपेक्षित है, उनके विरूद्ध कार्यवाही का पूर्ण प्रस्ताव संबंधित विभाग के प्रमुख सचिवों को तत्काल भेजते हुए राजस्व विभाग को भी अवगत कराया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

7- 'सम्पूर्ण समाधान दिवस' में प्राप्त होने वाले प्रार्थना पत्र तथा शिकायतों का प्रभावी एवं गुणवत्तापरक निस्तारण निर्धारित समयावधि में न करके विलम्ब से करने, शिथिलता बरतने, निस्तारण में रूचि न लेने वाले अधिकारियों को चिन्हित कर उनके विरूद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जाये।

8- 'सम्पूर्ण समाधान दिवस' की व्यवस्था हेतु उक्त निर्देश मात्र संकेतात्मक हैं। यह अपेक्षा की जाती है कि जिलाधिकारी रणनीति बनाकर शिकायतों के निस्तारण की एक प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे, जिससे आम जन में यह विश्वास हो कि प्रशासनिक व्यवस्था उसकी शिकायतां के निस्तारण करने के लिए प्रतिबद्ध है। उक्त का अर्थ यह नहीं है कि जनता की समस्याओं का निराकरण केवल 'सम्पूर्ण समाधान दिवस' में ही होगा बल्कि आशय यह है कि 'सम्पूर्ण समाधान दिवस' पर समस्त अवशेष को शून्य कर दिया जाये तथा गम्भीर मामलों में मौके पर जाकर प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

'सम्पूर्ण समाधान दिवस' शासन की शीर्ष प्राथमिकताओं मे से है। अतः उपर्युक्त आदेशों से अपने सभी अधीनस्थ अधिकारियों को अवगत कराते हुए उन्हें इन आदेशों का कठोरता से अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु स्वस्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त ।

भवदीय,

(राजीव कुमार)
मुख्य सचिव।

संख्या-1/2017/962(1)/एक-4-2017 दिनांक उपरोक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- स्टाप आफिसर, अध्यक्ष, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
2- कृषि उत्पादन आयुक्त /आवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त , उत्तर प्रदेश शासन।
3- प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
4- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री (राजस्व), उ0प्र0 शासन।
5- राजस्व विभाग के समस्त अनुभाग।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(डा0 रजनीश दुबे)
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

अनुसूची-1

शासनादेश संख्या-**1/2017/**962/एक-4-2017-111बी-4/2012 दिनांक 21 जुलाई,2017 का संलग्नक

जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित होने वाले सम्पूर्ण समाधान दिवस में प्रतिभाग करने वाले जिला स्तरीय अधिकारियों की सूची।

क्रमांक	जिला स्तरीय अधिकारी का पदनाम	क्रमांक	जिला स्तरीय अधिकारी का पदनाम
1	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक /पुलिस अधीक्षक	19	सहायक निदेशक, मत्स्य
2	मुख्य चिकित्सा अधिकारी	20	अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा
3	जिला विकास अधिकारी	21	अधिशासी अभियंता, जल निगम
4	परियोजन निदेशक	22	अधिशासी अभियंता, नलकूप
5	उप निदेशक (कृषि)	23	अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण (जिसके कार्य क्षेत्र से संबंधित तहसील हो)
6	सहायक निबन्धक (सहकारी समितियाँ)	24	अधिशासी अभियंता, विद्युत (जिसके कार्य क्षेत्र से संबंधित तहसील हो)
7	जिला कृषि अधिकारी	25	अधिशासी अभियंता, सिंचाई (जिसके कार्य क्षेत्र से संबंधित तहसील हो)
8	जिला कृषि अधिकारी	26	सहायक अभियंता, लघु सिंचाई
9	जिला गन्ना अधिकारी	27	उप संचालक/बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी
10	जिला पंचायत राज अधिकारी	28	मुख्य पशुचिकित्साधिकारी
11	जिला पिछड़ावर्ग कल्याण अधिकारी	29	बेसिक शिक्षा अधिकारी
12	जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी	30	जिला विद्यालय निरीक्षक
13	जिला विकलांग कल्याण अधिकारी	31	नगर आयुक्त /अधिशासी अधिकारी
14	जिला प्रोबेशन अधिकारी	32	उप जिलाधिकारी/नगर मजिस्ट्रेट
15	जिला समाज कल्याण अधिकारी	33	सचिव, विकास प्राधिकरण
16	जिला कार्यक्रम अधिकारी	34	जिला उद्यान अधिकारी
17	परियोजना अधिकारी, इडा	35	महाप्रबन्धक,जिला उद्योग केन्द्र
18	जिला सेवायोजन अधिकारी	36	प्रभागीय वनाधिकारी

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

अनुसूची-2

शासनादेश संख्या-**1/2017/**962/एक-4-2017-111बी-4/2012 दिनांक 21 जुलाई 2017 का संलग्नक

मुख्य विकास अधिकारी/अपर जिलाधिकारी/उपजिलाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित होने वाले सम्पूर्ण समाधान दिवस में प्रतिभाग करने वाले तहसील स्तरीय अधिकारियों की सूची।

क्रमांक	तहसील स्तरीय अधिकारी का पदनाम
01	अपर पुलिस अधीक्षक
02	पुलिस क्षेत्राधिकारी
03	तहसीलदार
04	उप मुख्य चिकित्साधिकारी
05	पूर्ति निरीक्षक
06	गन्ना निरीक्षक
07	बाल विकास परियोजना अधिकारी
08	सहायक अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा
09	सहायक अभियन्ता/अवर अभियंता, जल निगम
10	सहायक अभियन्ता/अवर अभियंता, नलकूप
11	सहायक अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग
12	सहायक अभियन्ता, विद्युत
13	सहायक अभियन्ता, सिंचाई
14	सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई
15	चकबन्दी अधिकारी
16	सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी
17	नगर शिक्षा अधिकारी
18	अधिशासी अधिकारी(संबंधित नगर पालिका/नगर पंचायत)
19	तहसील के समस्त खण्ड विकास अधिकारी
20	तहसील के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थाना प्रभारी
21	सहायक विकास अधिकारी (पंचायत)
22	सहायक विकास अधिकारी (कृषि)
23	सहायक विकास अधिकारी (सहकारी समितियाँ)
24	सहायक विकास अधिकारी (समाज कल्याण)
25	सहायक वन संरक्षक
26	खण्ड शिक्षा अधिकारी

नोटः- 'सम्पूर्ण समाधान दिवस' में राजस्व विभाग के सम्बन्धित तहसील के सभी लेखपाल एवं राजस्व निरीक्षक, तहसील परिसर में उपस्थित रहेंगे व आवश्यकतानुसार तहसील दिवस के प्रभारी द्वारा प्रकरण विशेष में बुलाया जा सकता है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

अनुसूची-3

शासनादेश संख्या-**1/2017/**962/एक-4-2017-111बी-4/2012 दिनांक 21 जुलाई ,2017 का संलग्नक

आवेदक को दी जाने वाली रसीद का प्रारूप

सम्पूर्ण समाधान दिवस

तहसील------ जिला---------

चौदह अंकों का आवेदन क्रमांक-.....

आवेदनकर्ता का नाम----------

आवेदनकर्ता का मोबाइल नं0----------

तहसील समाधान दिवास की मोहर प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर व दिनांक

अनुसूची-4

'सम्पूर्ण समाधान दिवस' के आवेदन-पत्रों के पंजीकरण के रजिस्टर का प्रारूप

तहसील---------- तहसील दिवस का दिनांक ----------

क0स0	आवेदन संख्या	आवेदक का नाम, पता, मोबाइल नं0	आवेदन का संक्षिप्त विवरण	संबंधित विभाग व अधिकारी का नाम	आवेदन निस्तारण हेतु नियत तिथि	निस्तारण तिथि	कार्यवाही का विवरण	पर्यवेक्षकीय अधिकारी की अनुपालन टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9

अनुसूची-5

जिलाधिकारी कार्यालय से प्राप्त आवेदन-पत्रों के समयबद्ध निस्तारण/अनुश्रवण रजिस्टर का प्रारूप

तहसील---------- तहसील दिवस का दिनांक ----------

क0स0	आवेदन संख्या	आवेदक का नाम, पता, मोबाइल नं0	आवेदन का संक्षिप्त विवरण	संबंधित विभाग व अधिकारी का नाम	आवेदन निस्तारण हेतु नियत तिथि	निस्तारण तिथि	कार्यवाही का विवरण	पर्यवेक्षकीय अधिकारी की अनुपालन टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

अनुसूची-6

शासनादेश संख्या-**1/ 2017/** 962/एक-4-2017-111बी-4/2012 दिनांक 21 जुलाई,2017 का संलग्नक

'सम्पूर्ण समाधान दिवसों' का राजस्व परिषद एवं शासन के अधिकारियों द्वारा समय-समय पर औचक निरीक्षण हेतु चेक लिस्ट।

1- क्या जनपद में 'सम्पूर्ण समाधान दिवस' निर्धारित दिवस एवं समय पर आयोजित हो रहे हैं

2- क्या जिलाधिकारी द्वारा क्रमानुसार प्रत्येक तहसील में आयोजित 'सम्पूर्ण समाधान दिवस' की अध्यक्षता एवं शेष तहसीलों में अध्यक्षता अपर जिलाधिकारियों/ उपजिलाधिकारियों द्वारा की जा रही है।

3- क्या 'सम्पूर्ण समाधान दिवस' में जनसमस्याओं से संबंधित विभाग के आवश्यक /सक्षम सभी अधिकारी उपस्थित हो रहे हैं।

4- विगत 'सम्पूर्ण समाधान दिवस' में उपस्थित न होने वाले अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गयी?

5- क्या मण्डलायुक्त द्वारा 'सम्पूर्ण समाधान दिवस' की तिथि पर अपने मण्डल की किसी एक तहसील का आकस्मिक निरीक्षण किया गया है? क्या इसी प्रकार संयुक्त विकास आयुक्तों तथा अपर आयुक्तों द्वारा भी मण्डलायुक्तों के निर्देशों के अनुसार ''सम्पूर्ण समाधान दिवस'' का आकस्मिक निरीक्षण किया गया है?

6- क्या 'सम्पूर्ण समाधान दिवस' में आवेदकों द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रार्थना-पत्रों का पंजीकरण 'सम्पूर्ण समाधान दिवस' रजिस्टर व कम्प्यूटर में कम्प्यूटराइजेशन हेतु निर्धारित 14 अंकों के क्रमांक में दर्ज कर उनकी प्राप्ति रसीद आवेदकों को उपलब्ध करायी जा रही है?

7- क्या 'सम्पूर्ण समाधान दिवस' में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में आवेदक या उसके किसी नजदीकी व्यक्ति का मोबाईल नम्बर अंकित किया जा रहा है?

8- क्या 'सम्पूर्ण समाधान दिवस' का रजिस्टर अध्यावधिक है और क्या सम्पूर्ण समाधान दिवस की उपस्थिति के समय उसका निरीक्षण करते हुए जिलाधिकारियों / मण्डलायुक्तों द्वारा अपनी टिप्पणी अंकित की गयी है?

9- क्या 'सम्पूर्ण समाधान दिवस' में प्राप्त होने वाले प्रार्थना-पत्र संबंधित तहसीलदार की देख रेख में उसी दिन मूलरूप (छायाप्रति तहसील में रखते हुए) संबंधित विभाग के अधिकारी को प्राप्ति का हस्ताक्षर रजिस्टर पर लेकर समयबद्ध अवधि में कार्यवाही कर अवगत कराने हेतु उपलब्ध कराये जा रहे हैं?

10- क्या 'सम्पूर्ण समाधान दिवस' के आयोजन के बाद उसी दिन प्रार्थना पत्रो का कम्प्यूटर पर अंकन सम्बन्धित तहसीलदार व उपजिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित कराया जा रहा है?

11- क्या 'सम्पूर्ण समाधान दिवस' के प्रारम्भ में जिलाधिकारियों/उपजिलाधिकारियों द्वारा पूर्व सम्पूर्ण समाधान दिवसों के सभी लम्बित सन्दर्भ एवं उनके लम्बित रहने के कारणों की समीक्षा तथा प्रार्थना-पत्रों के निस्तारण की गुणात्मक समीक्षा की जा रही है, और क्या ऐसे अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है, जो जन समस्याओं के निस्तारण में पर्याप्त रूचि नहीं ले रहे है?

12- क्या 'सम्पूर्ण समाधान दिवस' में जनपद द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्रों का गुणात्मक निस्तारण निर्धारित समयावधि में संबंधित अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है, क्या प्रार्थना पत्रों का निर्धारित समयावधि में गुणात्मक निस्तारण न करने वाले अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है?

13- क्या 'सम्पूर्ण समाधान दिवस' में प्राप्त प्रार्थना पत्रों के अन्तिम निस्तारण की गुणवत्ता का मूल्यांकन/परीक्षण जिलाधिकारी/उपजिलाधिकारी द्वारा करते हुए अपना अभिमत सम्पूर्ण समाधान दिवस रजिस्टर में अंकित किया जा रहा है तथा क्या उनके द्वारा स्वयं एवं अन्य अधिकारियों से शिकायतों

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

का वास्तविक समाधान होने के संबंध में शिकायतकर्ता से फोन करके अथवा स्थलीय जांच द्वारा सत्यापन किया जा रहा है?

14- क्या 'सम्पूर्ण समाधान दिवस' रजिस्टर में प्रार्थना -पत्रों पर कृत कार्यवाही का विवरण/गुणात्मक निस्तारण की आख्या का अंकन उपजिलाधिकारी अथवा उनसे उच्च स्तर के राजस्व अधिकारी द्वारा स्पष्ट रूप से किया जा रहा है?

15- क्या 'सम्पूर्ण समाधान दिवस' में प्राप्त कतिपय मामलों में जिलाधिकारी/ मण्डलायुक्त द्वारा शिकायतों के निस्तारण के गुणात्मक निस्तारण की मौके पर जाकर पुष्टि की है?

16- क्या आवेदन पत्रों के अन्तिम निस्तारण की स्थिति से आवेदकों को अवगत कराया जा रहा है।

17- कितने प्रार्थना-पत्रों पर त्वरित कार्यवाही हेतु राजस्व एवं गृह विभाग के अधिकारियों द्वारा मौके पर जाकर शिकायतों का निस्तारण किया गया है

18- क्या 'सम्पूर्ण समाधान दिवस' के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में सम्पूर्ण समाधान दिवसों पर प्राप्त प्रार्थना-पत्रों एवं उनके निस्तारण आदि की मासिक समीक्षा जिलाधिकारियों द्वारा नियमित रूप से की जा रही है।

(धीरज पाण्डे)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।